(2)

राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

प्रकरण क्रमांक R. 1161-तीन/14

1- अर्चना देवी पुत्री रामबहोर यादव निवासी ग्राम हनुमना, तहसील हनुमना जिला रीवा, म0प्र0,

2- कंचन देवी पुत्री स्व. रामबहोर यादव निवासी हनुमना, तहसील हनुमना जिला रीवा, म0प्र0,

3- श्रीमती राजकुमारी पुत्री स्व. रामबहोर यादव, निवासी हनुमना, तहसील हनुमना, जिला रीवा, म0प्र0,

4- सीता देवी पुत्री स्व. रामबहोर यादव, निवासी हनुमना, तहसील हनुमना जिला रीवा, म0प्र0 -

--निगरानीकर्तागण

बनाम

1- राधे श्याम तनय स्व. छकौड़ी लाल गुप्ता, निवासी हनुमना, तहसील हनुमना, जिला रीवा, म0प्र0

2- म0प्र0 शासन --

---- गैरनिगरानीकर्तागण

प्रकरण क्रमांक ..एव दिनांक 25-3-14 को ...ा गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

-4-14

निगरानी विरूद्ध न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के राजस्वप्रकरण क्रमांक 1322/अपील/12-13 पारित आदेश दिनांक 10.2.14 को निरस्त किये जाने ।

===================================

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई. ।

===================================

मान्यवर,

अर्जुन देवी/ रामदेव यादव

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

| निगरानी प्रकरण कमांक 1161 /III/2014 | | जिला रीवा |
|---|---|---|
| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
| 7.4.2014 | यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग,रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 1322/12–13 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 10–2–14 के विरूद्व म0प्र0भू. राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2/ आवेदकगण के अभिभाषक को ग्राह्यता पर सुना । उन्होंने बताया कि विवादित भूमि कमांक 191 रकबा 0.012 है. के अंश रकबा में 0.006 है विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण आवेदन विचारण न्यायालय में अनावेदक ने पेश किया है जबकि वर्तमान समय में उक्त अंश भाग शासकीय खसरे में मौजूद नहीं है। विकल्प में बटवारा प्रकरण मान. राजस्व मण्डल में कमांक आर–397/3/11 चल रहा है जिसमें पेशी 24–4–14 है एंव व्यवहार न्यायालय में स्वत्व घोषणा का प्रकरण लंबित है जिसके कारण अपर आयुक्त के समक्ष कार्यवाही स्थगित किये जाने की प्रार्थना की गई थी, फिर भी उन्होंने कार्यवाही स्थगित नहीं की है इसलिये निगरानी सुनवाई में ली जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख प्राप्त किया जावे। | |

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त के अंतरिम आदेश दिनांक 10.2.14 के अवलोकन से पाया गया कि अपीलांट्स व्दारा वरिष्ठ न्यायालय से अथवा व्यवहार न्यायालय से स्थगन प्राप्त प्रस्तुत नहीं किया है जिसके कारण उन्होंने कार्यवाही नहीं रोकी है क्योंकि संहिता की धारा 44 (2) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्व अपील सुनने की अधिकारिता आयुक्त/अपर आयुक्त को है, जिसके कारण अपर आयुक्त ने आवेदकगण का आपत्ति आवेदन अमान्य करते हुये प्रकरण तर्क हेतु नियत किया है। वैसे भी आवेदकगण को तर्को के दौरान अपर आयुक्त, रीवा संभाग के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है, जिसके कारण निगरानी में आवेदकगण को किसी प्रकार का अनुतोष देना संभव नहीं है।

4/ उक्त कारणों से निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

सदस्य